



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .450 / 2015जिला.....अलवर.....

उनवान – लछमन दास कालरा पुत्र श्री रसराम कालरा, अलवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर (मुद्रांक), अलवर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.03.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री के.एल.जैन, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक रेखा गोयल एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी जरिये अभिभाषक ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी जरिये अभिभाषक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी संख्या 450/2015/अलवर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: center;"> 24.3.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	